



कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी



प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 09.04.2024

1. द्वितीय चरण हेतु तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों 6—राजनांदगांव, 9—महासमुंद एवं 11—कांकेर में नाम निर्देशन पत्र वापस करने की अंतिम तिथि 08 अप्रैल 2024 थी। प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु अंतिम रूप से प्राप्त नामांकन की जानकारी लोकसभा क्षेत्रवार निम्नानुसार है :-

क्र.	लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	पुरुष	महिला	थर्ड जेंडर	अपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों की संख्या
1	10 बस्तर	11	11	0	0	1
2	6 राजनांदगांव	15	13	2	0	2
3	9 महासमुंद	17	16	1	0	0
4	11 कांकेर	9	9	0	0	1
	कुल	52	49	3	0	4

तृतीय चरण हेतु नामांकन दिनांक 12 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होंगे।

2. द्वितीय चरण हेतु 6—राजनांदगांव, 9—महासमुंद एवं 11—कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत 24 विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली दिनांक 04 अप्रैल 2024 को फ्रीज की जा चुकी है। इस चरण में निर्वाचकों की कुल संख्या 52,84,938 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 26,05,350 महिलाओं की संख्या 26,79,528 एवं तृतीय लिंग निर्वाचकों की संख्या 60 है। तीनों लोकसभा के सभी 24 विधानसभा क्षेत्रों की यह अंतिम प्रकाशित नामावली इस कार्यालय की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in में होस्ट की जा चुकी है। द्वितीय चरण हेतु मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 6567 है, जिसमें 02 सहायक मतदान केन्द्र सम्मिलित है।
3. द्वितीय चरण में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 51,306 है।
4. द्वितीय चरण में सेवा निर्वाचकों की संख्या 7,363 है जिन्हें आज दिनांक 09 अप्रैल 2024 को ePB प्रेषित किया जा चुका है। इनकी वापसी डाक के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी लो.स.निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय जिले में प्रत्येक दिवस 03:00 बजे होगी।
5. प्रथम चरण हेतु ईवीएम मशीनों का रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर द्वितीय रेण्डमाईजेशन पूर्ण किया जा चुका है, एवं दिनांक 10.04.2024 से संबंधित जिलों में कमीशनिंग का कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

6. प्रथम चरण हेतु कुल 140 वृद्धजनों (85+ आयुवर्ग) एवं 114 दिव्यांगजनों के इस प्रकार कुल 254 प्रारूप 12घ में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनके घर-घर जाकर मतदान कराए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7. द्वितीय चरण हेतु कुल 847 वृद्धजनों (85+ आयुवर्ग) एवं 495 दिव्यांगजनों के इस प्रकार कुल 1342 प्रारूप 12घ में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदान संबंधी कार्यवाही आगामी तिथियों में की जावेगी। इस चरण में अनिवार्य सेवा श्रेणी के कुल 155 आवेदन प्रारूप 12घ में प्राप्त हुए हैं जिनका मतदान डाक मतपत्र के माध्यम से जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर कराया जावेगा।
8. प्रथम चरण में दिनांक 09 अप्रैल 2024 की स्थिति में कुल 216 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक	निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं के सुविधा केन्द्रों से प्राप्त डाक मतपत्र	डाक द्वारा प्राप्त सेवा मतदाताओं के डाक मतपत्रों की संख्या	अनुपस्थित श्रेणी के डाक मतपत्रों की संख्या			कुल प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या
			85+ आयु वर्ग	PWD	अनिवार्य सेवा श्रेणी	
10-बस्तर	16	02	120	78	0	216
योग	16	02	120	78	0	216

9. सीविजिल में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कुल 342 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 236 पर कार्यवाही की गई है तथा 106 शिकायतें ड्रॉप की गई हैं।
10. आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत राज्य में अब-तक प्रचार प्रसार संबंधी विभिन्न अनुमतियों से संबंधित कुल 553 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 480 स्वीकृत एवं 49 निरस्त किये गये हैं। शेष 30 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।
11. आचार संहिता के दौरान बैनर, पोस्टर निकालने की कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :-

बैनर	—	70,378
पोस्टर्स	—	1,12,812
वॉल राइटिंग	—	1,39,296
अन्य	—	91,204
कुल	—	4,13,690

12. राज्य में आचार संहिता के दौरान दिनांक 08.04.2024 की स्थिति में जब्ती रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

Cohort	Quantity	Value
Cash		10.50 Cr.
Liquor	33591.33(Ltr.)	0.79 Cr.
Drugs/Narcotics	2371.54(kg)	5.01 Cr
Precious Metal	82.31 (kg)	2.09 Cr
Other Seizure/Freebies		22.82 Cr
Total Seizure Value		41.23 Cr